मुकदमा नम्बर 04/2017

किस्म:- प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट 1955

नानजी वगैरह बनाम हरिया वगैरह

~~15.07.024~~ 6/8/2024	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्षकारान उपस्थित। वकील प्रार्थी ने अपने तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि मौजा पहाड़पुरा पटवार हल्का गोलासन तहसील सांचौर के पुराने खेत खसरा नम्बर 113 रकबा 9 बीघा 19 बिस्वा भूमि के नये खसरा नम्बर क्रमशः 127,128,19,132,133 जुमले रकबा 1.55 हैक्टयर प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 ता 6 की संयुक्त खातेदारी की आयी हुई है। यह सम्पूर्ण आराजी प्रार्थी के नाम की थी जिसमें से 2 बीघा 18 बिस्वा भूमि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के पिता/पति को बेचान की जिसमें अप्रार्थीगण के पिता/पति ने रजिस्ट्री में कांट-छांट कर पूरी भूमि का नामान्तरकरण अप्रार्थीगण के पिता/पति के हक में करवा दिया जिसका फौजदारी मुकदमा हुआ तथा चालान पेश हुआ तथा प्रार्थी द्वारा राजस्व वाद पेश करने से माननीय न्यायालय ने दिनांक 21.01.2006 को प्रार्थी के पक्ष में निर्णय हुआ कि पुराने खसरा नम्बर 113 में से 7 बीघा 1 बिस्वा भूमि प्रार्थी के नाम व 2 बीघा 18 बीस्वा भूमि अप्रार्थी के नाम दर्ज की तथा साथ में 5,000-/ अप्रार्थी को दण्डित किया इस प्रकार जुमले रकबा 1.55 हैक्टयर में से 1.10 हैक्टयर भूमि प्रार्थी के नाम तथा शेष रकबा 0.45 हैक्टयर भूमि अप्रार्थी के नाम दर्ज है जो प्रार्थी द्वारा पेश नजरी नक्शा "अ" में लाल रंग से दर्शित भूमि प्रार्थी के कब्जे व स्वामित्व की है। इस प्रकार अप्रार्थीगण प्रार्थी के कब्जे व हिस्से की भूमि में दखलदांजी करते रहते है ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण को जरिये अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पांबद फरमावें। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 6 के वकील ने अपने तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि उक्त वादग्रस्त आराजी प्रार्थी व हम अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी है। उक्त भूमि हम अप्रार्थीगण के पति/पिता ने सन् 1964 में खरीद कर कब्जा प्राप्त किया तब से लगातार आज दिनन तक उक्त भूमि पर हम अप्रार्थीगण का कब्जा काश्त है मौके पर हम अप्रार्थीगण की वर्षो [illegible] बनी हुई है। तथा हमार पक्का कुआ [illegible] अपील माननीय अदालत से उसके पक्ष में निर्णय हुआ [illegible] राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में पेश की हुई है। जो विचाराधिन है। प्रार्थी ने उसके हक में हुये निर्णय व डिक्री के आधार पर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.08.08 17:43:30 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Scanned with OKEN Scanner

उपरोक्त आराजी में पअनी खातेदारी उसका कब्जा न होते हुये दर्ज करवा दी जबकि उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्व हम अप्रार्थीगण द्वारा अपीलीय अदालत में अपील करवा देने से तथा मौके पर प्रार्थी का कोई कब्जा काश्त नही होने से हम अप्रार्थीगण द्वारा दखलदांजी करने का प्रश्न ही पैदा नही होता है। हम अप्रार्थीगण की बजाय प्रार्थी उसके हक में हुए गलत निर्णय व डिक्री के आधार पर उपरोक्त आराजी में हम अप्रार्थीगण के कब्जे काश्त में आये दिन कब्जा करने के बहाने दखलदांजी करता रहता है। सन् 1964 से लगातार आज दिन तक वादग्रस्त आराजी के खातेदार होने से हम अप्रार्थीगण के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र चल नही सकता है तथा उक्त भूमि में खाद आदी डालकर भूमि उपजाउ बनाने से अगर अस्थाई निषेधाज्ञा हम अप्रार्थीगण के विरूद्व जारी की जाती है तो अपूरणीय क्षति हम अप्रार्थीगण को होगी जिसकी पूर्ति रूपयों पैसों में कतई नही आकी जा सकती है। तथा हम अप्रार्थीगण को तरह तरह के मुकमदमेंबाजी में उलझना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन अप्रार्थीगण के पक्ष में सिद्व होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञ खारिज फरमावे।

हमनें प्रार्थना पत्र पर उभय पक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी एवं बहस पर मनन किया। अधिवक्ता उभय पक्ष ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया/पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है। अतः गुणवगुण पर टिप्पणी किये बिना अप्रार्थीगण के विरूद्व इस आशय की अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि अप्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी मौजा पहाड़पुरा पटवार हल्का गोलासन तहसील सांचौर के पुराने खेत खसरा नम्बर 113 रकबा 9 बीघा 19 बिस्वा भूमि के नये खसरा नम्बर क्रमशः 127,128,19,132,133 जुमले रकबा 1.53 हेक्टेयर [illegible] के [illegible] फैसल ताफैसला राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति [illegible] शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो एवं [illegible] मूल वाद के साथ संलग्न हो।

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.08.08 17:43:30 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner